<u>अतिमहत्वूपर्ण</u>

<u>संख्या–भा0स0–9 / एक–10–2017–भा0स0(9) / 2017</u>

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, खीरी, मऊ, बलिया, बदायूँ, देवरिया, सीतापुर, बिजनौर, फैजाबाद, पीलीभीत, फर्रूखाबाद, बस्ती, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, आजमगढ़, बलरामपुर, संतकबीरनगर एवं गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 25 अगस्त, 2017

विषयः–बाढ़ से हुई जनहानि एवं गंभीररूप से घायल व्यक्तियों को PMNRF से धनराशि अवंटित किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आपके जनपद में बाढ़ से हुई जनहानि एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को PMNRF से धनराशि अवंटित करने विषयक अनु सचिव, भारत सरकार, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–82(19680) / 2017 PMF दिनांक 21.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहर्ण करने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बाढ़ के कारण मृत हुए व्यक्तियों को रू0 2,00,000 / –तथा गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को रू0 50,000 / –का एक्स–ग्रेसिया प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है, जो कि जिलाधिकारी के खाते में सीधे स्थानान्तरित करने के उपरान्त लाभार्थी के खाते में जमा की जायेगी । इस संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ से हुई जनहानि एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की सूची जिसमें मृत व्यक्ति की, उनके पारिवारिक उत्तराधिकारी के नाम सहित एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के डाक का पता, बैंक खाते की सूचना (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) तथा जिलाधिकारी के बैंक खाते की सूचना (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए है।

3– अतः अनु सचिव, भारत सरकार, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.08.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में वर्तमान में आयी बाढ़ से हुई जनहानि एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की सूचना तथा तथा जिलाधिकारी के बैंक खाते की सूचना (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) संलग्न निर्धारित प्रारुप 'क' अथवा 'ख' एवं 'ग' पर राहत आयुक्त संगठन के ई–मेल rahat@nic.in पर दो दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– सम्बन्धित मंडलायुक्त उ0प्र0।
3– राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवीदास)
विशेष सचिव।

NOTING S.O. 10 (NOV 2016)//3

Scanned by CamScanner

जनपद का नाम– ....

प्रारुप 'क'

बाढ़ से हुई जनहानि के संबंध में विवरण पत्र

क0सं0	मृतक का नाम, पिता/पति का नाम व पता	मृत्यु का दिनांक व कारण	परिजन (जिसको भुगतान किया जाना है) का नाम, पिता/पति का नाम व पता तथा मृतक से संबंध	परिजन (जिसको भुगतान किया जाना है) का बैंक खाता नं0 तथा शाखा का नाम एवं IFSC Code	अभ्युक्ति

प्रारुप 'ख'

बाढ़ में गम्भीर रुप से घायल व्यक्तियों के संबंध में विवरण पत्र

क0सं0	गम्भीर रुप से घायल व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता	घायल होने का दिनांक व कारण	गम्भीर रुप से घायल व्यक्ति का बैंक खाता नं0 तथा शाखा का नाम एवं IFSC Code	सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का विवरण प्रति सहित	अभ्युक्ति

प्रारुप 'ग'

जिलाधिकारी के खाते का विवरण, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है

क0सं0	जिलाधिकारी का नाम, पदनाम	बैंक खाता नं0 तथा शाखा का नाम एवं IFSC Code	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी

जनपद...................

Scanned by CamScanner

No. 9164 MS/G.I./2017

BY SPEED POST

प्रधान मंत्री कार्यालय

PRIME MINISTER'S OFFICE

नई दिल्ली-110 011
New Delhi-110 011

No. 82(19680)/2017-PMF

Dated: 21-August-2017

To

The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Subject: Ex-gratia from the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) to the victims of recent floods in Uttar Pradesh.

Sir,

Prime Minister has announced an ex-gratia @ Rs.2 lakh each for the next of kin of the persons deceased and Rs.50,000/- each for seriously injured persons due to recent floods in Uttar Pradesh.

2. It is requested that total fund requirement along with list incorporating the names of deceased, their next of kin and seriously injured persons with their complete postal address may please be furnished to this office.

3. As the amount to the beneficiaries would be disbursed through the State Government/District Administration, it is requested that name of payee in the Government of Uttar Pradesh/District Administration with his bank account details and IFSC code may also be furnished to this office at the earliest for transferring the fund through RTGS/NEFT.

संख्या 421 /पी0एस0आर0/2017
दिनांक......../2017

Yours faithfully,

(P.K. Bali)
Under Secretary to Govt. of India
Tel. 23013683
Fax 23015655
Email id- pmnrf@gov.in

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव
राजस्व एवं राहत आयुक्त
उ० प्र० शासन।

(देवी दास)
विशेष सचिव,
राजस्व विभाग
उ० प्र० शासन।

Scanned by CamScanner